

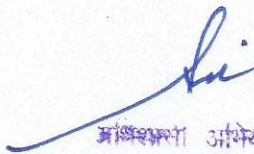
भू-अर्जन प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-२ (०-२) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-३ (६-८) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- ३.०० कि०मी० + ७६.०० मी० स्पान सेतु)

प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-२ (०-२) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-३ (६-८) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं एप्रोच मोटर मार्ग अर्द्धगी तक (लम्बाई- ३.०० कि०मी० + ७६.०० मी० स्पान सेतु) पूर्ण करता है। जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-६६६७/III(२) /१३-३२ (प्रा०आ०)/२०१३ दिनांक- २२.११.२०१३ द्वारा को लम्बाई- ३.०० कि०मी० + ७६.०० मी० स्पान सेतु हेतु लागत ४४.५९ लाख प्राप्त हुई। इस मार्ग का निर्माण लो०नि०वि० घनसाली द्वारा किया जाना है। मोटर मार्ग के निर्माण में ०.२४५ हे० भूमि हेतु नियमानुसार वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया है। वनभूमि की आवश्यकता को न्यूनतम रखने हेतु ०.३३५ हे० में ०.०९० हे० नाप भूमि ग्राम सभा-रौंसाल के प्रभावित काश्तकारों से निम्नानुसार देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकार से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को स-समय उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।


जिलाधिकारी
लम्बाई ३.०० मी० + ७६.०० मी०
घनसाली टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
[२२/११/२०१३]
[२२/११/२०१३]
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
ह०/१२२१/१५
जिलाधिकारी